

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अके./09-10

जयपुर दिनांक 04.12.09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

07 DEC 2009

विषय: सामाजिक अंकेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माह नवम्बर, 09 में राज्य के 16 जिलों की चयनित ग्राम पंचायतों (सामग्री मद पर सर्वाधिक व्यय करने वाली पंचायत) में सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट में पारित आदेश की समीक्षा उपरान्त सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि का नोटिस पूर्ण 30 दिवस पूर्व जारी नहीं करने के कारण, राज्य सरकार ने समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.09 द्वारा इन ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं करवाया था। इससे आम जन में यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है कि उच्च न्यायालय/राज्य सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण बन्द करवा दिया है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 व अधिनियम की अनुसूची-1 में दिनांक 31.12.08 को भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा प्रतिस्थापित पैरा नं. 13 बी की पालन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर 6 माह न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने के विधिक दायित्व पर कोई रोक नहीं लगाई है एवं न ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है।

अतः आप अपने जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की धारा 17 व भारत सरकार द्वारा राजपत्र में दिनांक 31.12.08 को प्रकाशित अधिसूचना के पैरा नं. 13 बी (संलग्न) के अनुसार समस्त ग्राम पंचायतों में हर छः माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद
समस्त राजस्थान।



परियोजना निदेशक, ईजीएस

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 सितम्बर, 2005]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके तयकर सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए रवेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संस्यत या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अन्तर्गत वर्ष में संसद द्वारा विधित्तित रूप में यह अधिनियमित है :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 है।

शुद्ध
संख्यांक
प्रकार।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-काश्मीर राज्य के विद्यमान सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उक्त अधिनियम को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राज्य में अधिभूतना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तरीके नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रादुर्भूत के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसा राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध को प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को, जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्वय अपेक्षित न हो :-

संख्यांक।

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) "आवेदन" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य ब्यक्त सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है, जिसने रोजीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "ब्लॉक" से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है ;

(ख) कोई अन्य कार्य करना जो शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक या राष्ट्रीय सरकार द्वारा उचित समनुदेशित किया जाए ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और अर्पण के अधीन कार्य करेंगे ।

(7) राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि किसी कार्यक्रम अधिकारी को कमी या किसी कृत्वी का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्देशन किया जाएगा ।

ग्राम पंचायतों के
संसाधनों ।

16. (1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड समितियों की शिक्षारिथों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यन्वयन के लिए ही जाने वाली परियोजनाओं को पहचान और ऐसे कार्य के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए संसाधनों होगी ।

(2) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकतेगी ।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड समितियों की शिक्षारिथ पर विचार करने के पश्चात् एक शिक्षा योजना तैयार करेंगी और स्कीम के अधीन उन सभी कार्य की सूची तैयार होगी है, किए जाने वाले सभी कार्य का एक सूची रखेगी ।

(4) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारंभ से जिसमें इसे निर्धारित किया जाता प्रस्तावित है, की संवीक्षा और प्रारंभिक पूर्वाभ्युक्ति के लिए कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यों के बीच अग्रत का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रोचित करेंगी ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को अग्रोचित करेगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा—

(क) उचित द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मरटर रोल ; और

(ख) ग्राम पंचायत के शिक्षारिथों को तालम उपलब्ध शिक्षाओं के अवरुद्धों की एक सूची ।

(7) ग्राम पंचायत अवरुद्धों के बीच शिक्षाओं के अवरुद्धों का आवंटन करेंगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेंगी ।

(8) किसी स्कीम से अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अमेडिड शकरीयता माचलों और भावमानों को पूरा करेगा ।

ग्राम सभा, ग्राम
सभा की
सामाजिक
संपरीक्षा ।

17. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निवृत्तन को सानीतर करेंगी ।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की निश्चित सामाजिक संपरीक्षा करेंगी ।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मरटर रोल, बिल, वास्तुश्र, माग पुस्तिकाएँ, मंजूरी आदेशों की प्रतियाँ और अन्य संबंधित लेखों पहियाँ और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएंगी ।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

से 48] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2005 / भाद्र 16, 1927
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2005 / BHADRA 16, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)***New Delhi, the 7th September, 2005/Bhadra 16, 1927 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on 5th September, 2005 and is hereby published for general information:—

THE NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 2005

No. 42 OF 2005

[5th September, 2005.]

An Act to provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. (1) This Act may be called the National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
- (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States or for different areas in a State and any reference in any such provision to the

Short title,
extent and
commencement.

(6) The Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with—

(a) the muster rolls for the works sanctioned to be executed by it; and

(b) a list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat.

(7) The Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work.

(8) The works taken up by a Gram Panchayat under a Scheme shall meet the required technical standards and measurements.

17. (1) The Gram Sabha shall monitor the execution of works within the Gram Panchayat.

Social audit of work by Gram Sabha.

(2) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all the projects under the Scheme taken up within the Gram Panchayat.

(3) The Gram Panchayat shall make available all relevant documents including the muster rolls, bills, vouchers, measurement books, copies of sanction orders and other connected books of account and papers to the Gram Sabha for the purpose of conducting the social audit.

18. The State Government shall make available to the District Programme Coordinator and the Programme Officers necessary staff and technical support as may be necessary for the effective implementation of the Scheme.

Responsibilities of State Government in implementing Scheme.

19. The State Government shall, by rules, determine appropriate grievance redressal mechanisms at the Block level and the district level for dealing with any complaint by any person in respect of implementation of the Scheme and lay down the procedure for disposal of such complaints.

Grievance redressal mechanism.

CHAPTER V

ESTABLISHMENT OF NATIONAL AND STATE EMPLOYMENT GUARANTEE FUNDS AND AUDIT

20. (1) The Central Government shall, by notification, establish a fund to be called the National Employment Guarantee Fund for the purposes of this Act.

National Employment Guarantee Fund.

(2) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary to the National Fund.

(3) The amount standing to the credit of the National Fund shall be utilised in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government.

21. (1) The State Government may, by notification, establish a fund to be called the State Employment Guarantee Fund for the purposes of implementation of the Scheme.

State Employment Guarantee Fund.

(2) The amount standing to the credit of the State Fund shall be expended in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the State Government for the purposes of implementation of this Act and the Schemes made thereunder and for meeting the administrative expenses in connection with the implementation of this Act.

(3) The State Fund shall be held and administered on behalf of the State Government in such manner and by such authority as may be prescribed by the State Government.

22. (1) Subject to the rules as may be made by the Central Government in this behalf, the Central Government shall meet the cost of the following, namely:—

Funding pattern.

(a) the amount required for payment of wages for unskilled manual work under the Scheme;

16. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संदीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे सम्बद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है :-

1. का.आ. 323(अ) तारीख 6 मार्च, 2007
2. का.आ. 1489(अ) तारीख 18 जून, 2008

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2008

S.O. 3000(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely:-

2. In the said Schedule, Paragraphs 3, 13 and 16 shall be substituted as under:

"3. The works taken up under the scheme shall be in rural areas and shall be subject to the following:-

- (a) A unique identity number shall be given to each work
- (b) All work must be executed by the workers who have job cards and who have demanded work.
- (c) No person below the age of 18 shall be permitted to work under NREGA projects.
- (d) Each muster roll shall have a unique identity number and be certified by the Programme Officer. The format of the muster roll will be as specified by the Government of India.

- (e) Muster Rolls duly signed by Programme Officer and properly numbered shall be maintained on the worksite. Any muster roll not signed by the Programme Officer and properly numbered will be treated as unauthorized and shall not be maintained at the worksite.
- (f) The workers will countersign their attendance and the amount of wages earned on the Muster Roll at the worksite.
- (g) A detailed record of muster rolls will be maintained in the registers as prescribed by the Government of India from time to time.
- (h) When a work in is progress, the workers engaged in that work will select from among themselves not less than five workers on a weekly rotational basis to verify and certify all the bills/vouchers of their worksite at least once a week.
- (i) A copy of the sanction/work order must be available for public inspection at the worksite.
- (j) Measurement of work will be recorded in the Measurement Books maintained by qualified technical personnel in charge of the worksite.
- (l) Measurement records for each work and worker must be available for public inspection.
- (k) A Citizen's Information Board must be put up at every worksite and updated regularly in the manner prescribed by the Government of India.
- (l) Any person must be able to access muster rolls on demand on the worksite for all days during all working hours.
- (m) The Vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the Government of India will check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format prescribed by the Government of India and be submitted to the Gram Sabha during Social Audit.

13. Every scheme shall contain adequate provisions for ensuring transparency and accountability at all levels of implementation as stated below.

(a) Proactive Disclosure

i) At the worksite proactive disclosure shall be through display of information through Citizen Information Boards, reading out of muster rolls information regarding attendance, work done and wages paid in the presence of workers at the end of the day by the person authorized. The measurements in the Measurement Book will also be read out during the measurement of woks before the workers.

ii) At the Gram Panchayat and Block Programme Office proactive disclosure shall be through display of information on boards and shall include at least information pertaining to provision of employment, funds received and expenditure, shelf of projects approved.

iii) All information on NREGA will be placed in public domain through the website for NREGA as prescribed by the Government of India and be available through free downloadable electronic form.

(b) Social Audit

i) The Social Audit shall be held at least once in every six months.

ii) An announcement of the Social Audit will be made by the District Programme Coordinator or the Programme Officer at least thirty days in advance.

iii) For each Social Audit by the Gram Sabha, the Gram Sabha will elect from itself a Social Audit Committee workers who have worked in current/previous works under NREGA of the same Gram Panchayats and not less than one third members of Social Audit Committee shall be women.

iv) The Programme Officer shall ensure that all relevant documents, including complete files of the works or copies of them, of works of Implementing Agencies for the jurisdiction of that Gram Panchayat shall be available for inspection at the Gram Panchayat.

v) The Gram Panchayat shall present all necessary information and documents at least 15 days in advance to the Social Audit Committee.

vi) The Social Audit Committee will verify all documents and information. Any person may submit any information to the social audit committee deemed relevant.

vii) The Program Officer shall notify in writing all the Public Representatives and also concerned staff implementing the NREGA well in advance to ensure that they are kept informed about the process and are present at the Social Audit.

viii) The social audit committee shall read out its findings publicly in the gram sabha and people shall be given an opportunity to seek and obtain information from the Gram Panchayat and the officials concerned and verify records.

ix) The action taken report relating to the previous Social Audit shall be read out at the beginning of each Social Audit.

x) The Minutes shall be recorded by Secretary and signed before and after the completion of the Social Audit by all participants. Any dissent/ objections shall be addressed and recorded in the minutes.

xi) The Social Audit shall be open to public participation. An individual person apart from the Gram Sabha shall be allowed to a Social Audit as observers without intervening the proceedings of the Audit.

xii) All Action Taken Reports shall be filed within a month of convening of the Social Audit.

xiii) All findings related to Contravention of the Act shall be treated as complaint and enquiry shall be conducted for any dispute in findings.

xiv) Any Fund Deviations shall follow with an Action against the concerned person and fund recovery shall be expedited.

xv) While certifying accounts of the NREGS the Government Auditor shall take cognizance of any complaint, regarding financial irregularities or misappropriations, raised through a Social Audit before certifying the accounts.

16. All accounts and records relating to the Scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the time of application and after paying such fee as may be specified in the Scheme.

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]
AMITA SHARMA, Jt Secy.

NOTE: Schedule I to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended vide following Notification Numbers:-

1. S.O. 323(E) dated 6th March 2007
2. S.O. 1489(E) dated 18th June 2008

सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्रामसभा को प्रस्तुत की जाएगी ;

13. प्रत्येक स्कीम में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यदिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा ;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे ; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा निःशुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ख) सामाजिक संपरीक्षा

(i) सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार की जाएगी ;

(ii) सामाजिक संपरीक्षा को घोषणा जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कम से कम तीस दिन अग्रिम में की जाएगी ;

(iii) ग्राम सभा द्वारा उन कर्मकारों के लिए जिन्होंने उन्हीं ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन वर्तमान में और पहले कार्य किया है ग्राम सभा संपरीक्षा के लिए स्वयं में से एक सामाजिक संपरीक्षा समिति का चयन करेगी और सामाजिक संपरीक्षा समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला होंगी ;

(iv) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यों की संपूर्ण फाइलों सहित सभी सुसंगत दस्तावेज और उनकी प्रतियां ग्राम पंचायत पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी ;

- (v) ग्राम पंचायत सामाजिक सुरक्षा समिति को कम से कम पंद्रह-बीस दिन पूर्व अधिनियम में सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ;
- (vi) सामाजिक सुरक्षा समिति सभी दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन करेगी और कोई व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा समिति को कोई सुसंगत जानकारी प्रस्तुत कर सकेगा ;
- (vii) कार्यक्रम अधिकारी लिखित में सभी लोक प्रतिनिधियों तथा संबद्ध कर्मचारिवृंद जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे हैं, को समय पूर्व अधिसूचित करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दी गई है और सामाजिक संपरीक्षा के समय उपस्थित रहें ;
- (viii) सामाजिक सुरक्षा समिति ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से उसके निष्कर्षों को पढ़कर सुनाएगी और व्यक्तियों को ग्राम पंचायत और संबद्ध पदाधिकारियों से जानकारी जानने और प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा और अभिलेखों का सत्यापन करेगी ;
- (ix) पूर्व सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट, प्रत्येक सामाजिक संपरीक्षा के प्रारंभ में पढ़ी जाएगी ;
- (x) सचिव द्वारा कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाएगा और सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा के पूर्व और उसके पूरा होने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा कोई असहमति या आक्षेप को बताया जाएगा तो उसे कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा ;
- (xi) सामाजिक संपरीक्षा जनता की भागीदारी के लिए खुली होगी और ग्राम सभा से भिन्न कोई व्यक्ति सामाजिक संपरीक्षा की कार्यवाहियों का में हस्तक्षेप किए बिना प्रेक्षक के रूप में सामाजिक संपरीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;
- (xii) की गई कार्रवाई रिपोर्ट, सामाजिक संपरीक्षा किए जाने के एक मास के भीतर फाइल की जाएगी ;
- (xiii) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कोई निष्कर्ष शिकायत के रूप में समझा जाएगा और निष्कर्ष में किसी विवाद के लिए जांच संचालित की जाएगी ;
- (xiv) किसी निधि विचलन से संबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और निधियों की वसूली में तेजी लाई जाएगी ;
- (xv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लेखाओं का प्रमाणन करते समय सरकारी संपरीक्षक लेखाओं का सत्यापन करने से पूर्व सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं या दुर्विनियोग के संबंध में किसी शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा; और